न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारीः— श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

निर्णय

वाद संख्या : 21/2018

वादी:—

छोटी पुत्री अमरलाल पत्नि बाबूलाल जाति माली साकिन मऊ तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादनी

♠ बनाम ♠

1. श्री मांग्या पुत्र नारायण माली निवासी मऊ तह0 मांगरोल (मृतक)
   1/1 चमेली बाई पत्नि मांगीलाल
   1/2 मंजू पुत्री मांगीलाल पत्नि महावीर जाति माली निवासी समसपुर तह0 बारां
   1/3 शांती पुत्री मांगीलाल पत्नि मुकेश जाति माली निवासी चरडाना तह0 अटरू
   1/4 नटी पुत्री मांगीलाल पत्नि शिवराज जाति माली निवासी समसपुरा तह0 बारां
   1/5 कैलाश बाई पुत्री मांगीलाल पत्नि कंवरलाल माली नि0 रायथल तह0 मांगरोल
   1/6 निर्मला बाई पुत्री मांगीलाल पत्नि अर्जुन माली निवासी किशनगंज जिला बारां
   1/7 रामदयाल पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी मऊ तह0 मांगरोल
   1/8 कविता पुत्री मांगीलाल जाति माली निवासी मऊ तह0 मांगरोल
   1/9 सोनू पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी मऊ तह0 मांगरोल
2. रतना पुत्र नारायण
3. मथुरी बेवा नारायण (मृतक)
4. गोबरी पुत्री नारायण
5. चौथमल पुत्र मथुरालाल
6. पुष्पा बेवा मथुरालाल
7. मांगी पुत्री मथुरालाल
8. रामस्वरूप पुत्र घनश्याम
9. पाना बेवा घनश्याम
10. रामबिलास पुत्र देवकिशन
11. भीम पुत्र देवकिशन

   जातियान माली निवासीगण मऊ तहसील मांगरोल जिला बारां

12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)
13. मु0 गुलाब पुत्री अमरा जाति माली निवासी मऊ तहसील मांगरोल

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

वकील वादनी : श्री अजीत कुमार जैन
वकील प्रतिवादीगण 1 ता 13: कोई उपस्थित नही
दायरा दिनांकः 21.03.2018

निर्णय दिनांक : 21.02.2019

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है उक्त उनवान के प्रकरण में सुनाये गये निर्णय की डिक्री दिनांक 04.02.2019 का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है कि ग्राम मऊ तहसील मांगरोल में आराजियात 19 किता रकबा 58 बीघा 11 बिस्वा स्थित है, विवरण इस प्रकार है:–

साबिक खसरा नं0	रकबा	किस्म
111	21 बीघा 2 बिस्वा	बारानी अव्वल
334	14 बिस्वा	चाही दोयम
337	1 बीघा 2 बिस्वा	चाही दोयम
358	1 बीघा 17 बिस्वा	चाही दोयम
515	11 बीघा 3 बिस्वा	बारानी दोयम
587	2 बीघा 14 बिस्वा	बारानी दोयम
651	5 बिस्वा	चाही अव्वल
655	2 बिस्वा	चाही सोयम
665	16 बिस्वा	चाही सोयम
671	5 बिस्वा	चाही अव्वल
673	11 बिस्वा	चाही अव्वल
674	4 बिस्वा	चाही अव्वल
691	9 बिस्वा	चाही अव्वल
695	2 बिस्वा	चाही अव्वल
697	5 बिस्वा	चाही अव्वल
710	7 बिस्वा	खेडा दोयम
735	10 बिस्वा	खेडा दोयम
864	3 बीघा 5 बिस्वा	बारानी अव्वल
869	12 बीघा 18 बिस्वा	माल दोयम

उक्त आराजी दौरान बन्दोबस्त निम्न स्परूप में कायम हुआ है। कुल किता 19 रकबा 8.94 है0 विवरण:–

खसरा नं0	रकबा	किस्म
93	0.58 है0	नहरी प्रथम

	1.54 है0	नहरी प्रथम
	1.92 है0	नहरी प्रथम
	0.83 है0	नहरी प्रथम
	0.18 है0	जाव प्रथम
	0.11 है0	जाव प्रथम
	0.28 है0	जाव प्रथम
	0.40 है0	नहरी द्वितीय
	0.03 है0	चाही प्रथम
	0.04 है0	चाही प्रथम
	0.14 है0	चाही प्रथम
	0.04 है0	चाही प्रथम
	0.05 है0	चाही प्रथम
	0.09 है0	चाही प्रथम
	0.04 है0	चाही प्रथम
	0.03 है0	चाही प्रथम
	0.07 है0	चाही प्रथम
	0.08 है0	बारानी उत्तम
	0.06 है0	बारानी उत्तम
	0.43 है0	नहरी प्रथम
	2.01 है0	नहरी प्रथम

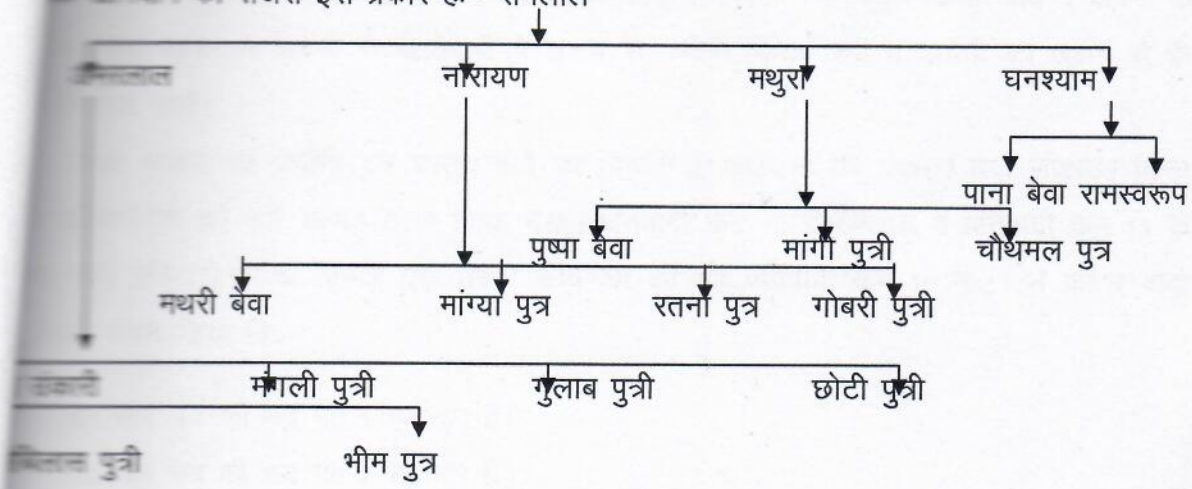

वर्णित आराजी विवादित आराजी है। उक्त आराजी श्री रामलाल वल्द भागीरथ माली के खातेदारी की थी का खानदान का सजरा इस प्रकार है:– रामलाल

रामलाल के पुत्र नारायण, मथुरालाल व घनश्याम का देहान्त हो चुका है। अमरा का देहान्त रामलाल से दो साल पूर्व हो गया था। नारायण के वारिसान प्रतिवादी कम 1 ता 4 है, मथुरालाल के वारिसान प्रतिवादी कम 5 ता 7 है घनश्याम के वारिसान प्रतिवादी नंबर 8 व 9 है तथा अमरलाल मृतक के वारिसान वादनी तथा प्रतिवादी गुलाब व मंगली है। यह अमरलाल की पुत्रियां है जिनमें मंगली का देहान्त हो गया है प्रतिवादी क्रम 10 व 11 उसके पुत्र है अतः पक्षकार मुकदमा है। रामलाल के खातेदारी की आराजियात विवादग्रस्त वर्णित मद नं0 1 व 2 में रामलाल के मरने के बाद उसके पुत्र नारायण मथुरा व घनश्याम तथा अमरलाल के वारिसान प्रतिवादी नं0 10 ता 11 व 13 तथा वादनी को विरासत में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है जिनमें अमरलाल के वारिसान का 1/4 हिस्सा खातेदारी है। अमरलाल के वारिसान को जो हक खातेदार प्राप्त हुये है उनमें प्रतिवादी नंबर 10 व 11 का 1/12 वा हिस्सा है तथा प्रतिवादी मुस0 गुलाब का 1/12 वा हिस्सा है तथा वादनी का 1/12 हिस्सा है इस तरह आराजियात विवादग्रस्त में वादनी का 1/12 हिस्सा है जिसको वह प्राप्त करने की हकदार है। रामनाथ की मृत्यु के बाद जरियें नामान्तरकरण विवादग्रस्त आराजियात का दाखिल खारजा मुस0 ऊंकारी बाई बेवा अमरलाल व नारायण, मथुरा व घनश्याम के हक में तस्दीक हुआ इसके पश्चात उक्त विवादग्रस्त आराजियात जरिये नामान्तरण नंबर 260 से प्रतिवादी नंबर 1 ता 9 के खातेदारी में अंकित हुई तथा वर्तमान में उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी नं0 1 ता 10 के खातेदारी में अंकित है राजस्व रेकार्ड की भूल से वादनी व प्रतिवादी नंबर 13 का नाम बतौर सहखातेदार अंकित कराने से रह गया यद्यपि वादनी ने व प्रतिवादी नंबर 13 ने उक्त विवादित आराजियात पर से न तो अपना हक हकूक खातेदारी तर्क किया है। और न दीगर सह–खातेदारी के हक में समर्पित किया है। यह महज राजस्व अधिकारियों की भूलवश ऐसा हुआ है जिसकी दुरूस्ती कराने की वादनी नालिशी है तथा यह वाद प्रस्तुत करती है व यह घोषणा कराने की हकदार है कि उक्त विवादग्रस्त

खाता में वादनी का 1/12 वा हिस्सा खातेदारी है। अतः विवादित आराजी का विधिपूर्वक बंटवारा किया जाकर उनमें से 1/12 हिस्सा वादनी का जरियें बंटवारा अलग से निश्चित किया जावें व वादनी के हिस्से में आया रकबे को वादनी के खातेदारी में अलग से अंकित किया जावें व वादनी को अलग से ही दिलाया जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 21.03.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 10 रामबिलास व प्रतिवादी क्रम 11 के अलावा सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई प्रतिवादी क्रम 10 व 11 ने जवाब दावा पेश कर कथन किया किः—

01. वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है।
02. वाद पत्र की मद नं0 2 स्वीकार है।
03. वाद पत्र की मद नं0 3 स्वीकार है।
04. वाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है।
05. वाद पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है।
06. वाद पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है।
07. वाद पत्र की मद नं0 7 अस्वीकार है।
08. वाद पत्र की मद नं0 8 अस्वीकार है।
09. वाद पत्र की मद नं0 9 अस्वीकार है।
10. वाद पत्र की मद नं0 10 अस्वीकार है।
11. वाद पत्र की मद नं0 11 अस्वीकार है।
12. वाद पत्र की मद नं0 12 अस्वीकार है।

विशेष विवरणः— वाद में वर्णित आराजियात रामलाल के खातेदारी की थी उसकी मृत्यु के उपरान्त उक्त आराजियात उसके वारिसान नारान, मथुरा, घनश्याम तथा अमरलाल की बेवा ऊंकारी के खाते दर्ज हो गयी थी जिसमें प्रत्युक का 1/4 हिस्सा था, अमरलाल की बेवा ऊंकारी ने अपने जीवनकाल में सहायक भूप्रबंध एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी मांगरोल के समक्ष शपथ पत्र पेश कर प्रार्थना की थी कि उसके हिस्से की समस्त आराजी उसकी लडकी के पुत्र रामबिलास पुत्र श्री देवकिशन के खाते दर्ज कर दिया जावें जिस पर निर्णय दिनांक 21.04.1983 को ऊंकारी के खाते व हिस्से की समस्त आराजी रामबिलास के खाते दर्ज करने के आदेश दिये गये थे इस प्रकार रामबिलास प्रतिवादी का नाम समस्त आराजी में ऊंकारी के स्थान पर दर्ज हुआ है जो कानून सम्मत है तथा प्रतिवादी रामबिलास ही निरन्तर आज तक काबिज काश्त चला

इस कारण वादनी का कोई अधिकार विवादित आराजी में घोषित कराने का नही रहा है। वादनी दिनांक 21.04.1983 सहायम भू–प्रबंधक एवं भू अभिलेख अधिकारी मांगरोल के आदेश को कही चुनौती देकर निरस्त भी नही करवाया है। प्रतिवादी रामबिलास ऊंकारी के हिस्से की आराजी पर 18 वर्षों से काबिज काश्त चला आ रहा है इस कारण उसका एडवर्स पजेशन होने के कारण अब कोई हक उक्त आराजी पर प्राप्त करने की अधिकारी नही रही है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन वादनी का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावें।

जवाब दावा प्रतिवादी कम 10 ता 11 के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई:–

01. क्या विवादित आराजीयात में वादनी का 1/12 हिस्सा तथा क्या वह उन्हे जर्ये बंटवारा करने का हकदार है।
02. क्या विवादित आराजीयात के सहखातेदार अमरलाल हिस्सा 1/4 को उसकी बेवा ऊंकारी बाई ने राम किशन प्रतिवानी नं0 10 के खाते जर्ये सहायक भू–प्रबंधन अधिकारी दर्ज करा लिया इसका दावा पर क्या असर है।
03. क्या राम बिलास को उक्त हिस्सा आराजी पर 18 साल से निरंतर कब्जा है उसे हमम ुखलखाना प्राप्त हो चुका है।
04. दादरसी

वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में स्वयं पीडब्ल्यू 1, छोटी बाई व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 इंतकाल नं0 18 प्रदर्श 2 जमाबंदी सम्वत 2033–2036 ग्राम मऊ, प्रदर्श 3 जमाबंदी सम्वत 2044–2063 ग्राम मऊ, प्रदर्श 4 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5 जमाबंदी सम्वत 2017–2020 ग्राम मऊ। प्रतिवादी कम 10 व 11 की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही की गई न ही कोई दस्तावेज प्रदर्श कराने पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए न्यायालय ने एक पक्षीय निर्णय दिनांक 29.05.2001 पारित करते हुए प्राथमिक डिक्री वादनी के पक्ष में जारी कर दी।

उक्त निर्णय दिनांक 29.05.2001 को अपास्त कराने के लिए प्रतिवादी कम 10 व 11 की ओर से आदेश व निर्णय 13 सी0पी0सी0 पेश करने पर उभय पक्ष को सुनकर न्यायालय ने प्रार्थना पत्र आदेश व नियम 13 सी0पी0सी0 स्वीकार करके एक पक्षीय डिक्री दिनांक 29.05.2001 को अपने निर्णय दिनांक 06.09.2002 से अपास्त कर दिया। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.09.2002 की निगरानी माननीय राजस्व मंडल अजमेंर ने अपने निर्णय दिनांक 29.05.2016 से निगरानी वादनी/प्रार्थीया खारिज करते हुऐं पुनः इस न्यायालय को लौदा दी गई।

दिनांक 21.03.2018 को दर्ज करके प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी कम की मृत्यु होने पर उसके कामय मुकामान बनाकर रिकॉर्ड पर लिये गये और संशोधित टाइटल पेश दिनांक 25.01.2019 को साक्ष्य वादनी बंद की जाकर दिनांक 31.01.2019 को साक्ष्य प्रतिवादी वकील वादनी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी, वकील वादनी ने नया कोई दस्तावेज पेश नही और न ही कोई नई तनकी विवेचित की है, पूर्व में बनाई तनकीयों पर ही बहस की गई वकील ने मुख्य अपनी बहस में वही दोहराया है जो उन्होने अपने वाद पत्र में लिखा है न्यायालय तनकी निम्न प्रकार से निर्णय दे रहा है।

वकील वादनी ने अपनी बहस में बताया कि मुताबिक सजरा मूल खातेदार अमरलाल के चार नारायण, मथुरा व घनश्याम थे, अर्थात चारो पुत्रों का 1/4–1/4 हिस्सा आराजी में है, जमाबंदी सम्वत 2017–2020 है जिसमें 50 बीघा 11 बिस्वा भूमि रामलाल खातेदार के दर्ज है, इंतकाल नं0 260 दिनांक 08.12.1978 से यह आराजी ऊंकारी बेवा अमरलाल, नारायन, मथुरा व दर्ज की गई जिसका राजस्व रेकार्ड प्रदर्श 2 है जिसमें मृतक खातेदारान के वारिस भी दर्ज हो वकील वादनी का कहना है कि वादनी के पिता अमरा का हिस्सा 1/4 था, अमरा के वारिसान के की पुत्री मंगली, छोटी स्वयं वादनी व गुलाब प्रतिवादी कम 13 है इस प्रकार वादनी का हिस्सा है, तथा प्रतिवादी कम 10 व 11 का हिस्सा भी 1/12 है जो मंगली के पुत्र है, मुख्य बहस में कि मु. ऊंकारी ने इंतकाल नं0 18 दिनांक 21.11.1962 राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने खाते कराली, और सेटलमेंट कर्मचारियों से मिलकर निर्णय दिनांक 21.04.1983 से सहायक भू–प्रबंध अधिकारी कोटा से अपने पक्ष में कराकर अपने नाम के साथ प्रतिवादी कम 10 रामबिलास पुत्र देवकिशन का नाम भी दर्ज करा लिया जिसका इन्द्राज जमाबंदी प्रदर्श 3 सम्वत, 2044–2063 में हो रहा है। वकील वादनी का मुख्य तर्क रहा है कि मु0 ऊंकारी की मृत्यु के बाद राजस्व रेकार्ड में उसका व उसकी बहिन गुलाब का नाम अंकित नही किया गया है, जो कानूनी त्रुटि है जबकि वादनी अमरा की पुत्री है, तथा आराजी पुश्तैनी होने से उसका हिस्सा 1/12 जन्मजात है, पीढी दर पीढी आराजी चली आ रही है, राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी कम 10 के साथ साथ वादनी का नाम भी दर्ज किया जाना चाहिए जो नही किया गया, वादनी स्वर्गीय अमराजी की उत्तराधिकारी व वारिस है, तथा उनकी आराजी में हिस्सा लेने की अधिकारिणी है।

न्यायालय वकील वादनी की बहस से न्यायालय सहमत है। वादनी स्वर्गीय अमरलाल की पुत्री है इस बाबत् अन्य कोई प्रतिवादीगण का जवाब दावा भी नही है, और ऐतराज भी नही है। आराजी पुश्तैनी है,

पुष्टि प्रदर्श 1 वा प्रदर्श 5 राजस्व रेकार्ड जमाबंदी से हो जाती है, अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार तनकी न. 1 का निर्णय वादनी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी न. 2 व 3:– इन दौनो तनकीयों को साबित करने का भार प्रतिवादी कम 10 व 11 पर था, प्रतिवादी ने मात्र जवाब दावा पेश किया है, अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व जवाब दावे को साक्ष्य से साबित नहीं कराया है, ऐसी स्थिति में सहायक भू–प्रबंध एवं सहायक भू–अभिलेख अधिकारी मांगरोल के आदेश दिनांक 21.04.1983 के आधार पर प्रतिवादी कम 10 रामबिलास को खातेदार नही माना जा सकता। खातेदार अथवा काश्त के बारें में भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नही की गई है, अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार तनकी नम्बर 2 व 3 का निर्णय वादनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाता

अनुतोष:– उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादनी का वाद वास्ते विभाजन एवं घोषणा खातेदारी डिकी किए जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वादनी का वाद बहक प्रतिवादीगण प्रारम्भिक डिकी किया जाकर वादनी को वाद में वर्णित आराजी का 1/12 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है प्राथमिक डिकी जारी हो। तहसीलदार मांगरोल से विवादित आराजी हाल खाता संख्या 48 ग्राम मऊ में दर्ज आराजी 8.94 है0 में से वादनी के हिस्से 1/12 का बटवारा प्रस्ताव मंगवाया जाने के आदेश दिये जाते है।

उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार मांगरोल द्वारा दिनांक 11.02.2019 से बंटवारा स्कीम प्रस्तुत की। जो शामिल फाईल किया गया एवं पत्रादि का अवलोकन किया गया। पक्षकारो की सहमति के आधार पर आराजी का विभाजन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव निम्न प्रकार है:–

क्रम सं.	नाम खातेदार	खसरा नं0	रकबा	लगान	दिशा
1	छोटी पुत्री अमरलाल जाति माली सा0 मांगरोल	124	0.74 है0	23.68	पूर्वी मेड से
		किता 1	0.74 है0	23.68	
2	गुलाब बाई पुत्री अमरा हि0 1/11 रामबिलास भीमराज पुत्र देवकिशन हि0 1/11 मांग्या रतना पुत्र नारायण मु. मथुरी पत्नी स्व0 नारायण गोबरी पुत्री नारायण हि0 3/11 चौथमल पुत्र मथुरा मु0 पुष्पा पत्नी स्व0 मथुरा मांगी मथुरा हि0 3/11 रामस्वरूप पुत्र घनश्याम मु0 पाना पत्नी स्व0 घनश्याम हि0 3/11 जाति माली सा0 देह	93 124 125 319 435 454 516 672	0.58 0.80 1.92 0.82 0.18 0.11 0.28 0.40	18.56 25.60 61.44 26.24 3.60 2.20 5.60 2.80	

	694	0.03	1.00	
	705	0.04	1.40	
	710	0.14	5.60	
	720	0.04	1.60	
	724	0.05	2.00	
	725	0.09	3.60	
	726	0.04	1.40	
	742	0.03	1.20	
	753	0.07	2.60	
	755	0.08	1.20	
	781	0.06	0.90	
	1290	0.43	13.76	
	1323	2.01	64.32	
	किता 21	8.20	246.62	

[illegible] दिनांक 21.02.2019 को प्रस्तुत हुई वादिनी स्वयं उपस्थित प्रतिवादी क्रम 10 व 11 की ओर से [illegible] उपस्थित नही है। प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। वादिनी को सुना गया। अतः [illegible] उक्त बंटवारा प्रस्ताव प्रत्येक सहखातेदारान का खाता तन्हा रूप से पृथक किया जाता है। पृथक [illegible] किया जाकर मुताबिक नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर खातेदारों के दर्ज किया जावें। तदनुसार [illegible] डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार मांगरोल को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद [illegible] जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

[illegible] आज दिनांक 21.02.2019 को सरेइजलास मजमेंआम में सुना